पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

PGCIL/R/T/21/00099

दिनांक: 3 November, 2021

Shri Chandan Kumar,
Village- Shah Salempur,
Near Government Prathmik School,
Post- Badh-803213, Bihar

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 7 October, 2021 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-। मे संलग्न है।

यदि आप केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी. अनंत शर्मा
कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीप,

(जसबीर सिंह)

मुख्य महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

अनुलग्नक-।

विषय: श्री चंदन कुमार, निवासी-बिहार द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संदर्भ में जवाब

मांगी गई सूचना:	जवाब:
मैंभारत सरकार केअंतर्गत ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक विद्युत पारेषण कंपनी में कामगार या वर्कमैन के तौर पर कार्यरत हूँ। मेरे कार्य की प्रकृति पाली में है। पाली तीन समयावधि में विभाजित है। जोकि, 8:00 घंटे की है।पाली निम्नसमयानुसार है। ए पाली: समय 06:00 बजे से 14:00 बजे तक। बी पाली: समय 14:00 बजे से 22:00 बजे तक। सी पाली: समय 22:00 बजे से 06:00 बजे तक। प्रतिदिन अथवा कंपनी के आवश्यकता अनुरूप मेरी कार्य की पाली बदलती रहती है। कई बार दो पाली के बीच आराम करने के लिए मुझे सिर्फ़ 8:00 आठ घंटे ही मिल पाते हैं। इसी समय में आवागमन इत्यादि भी शामिल होने से आराम के लिए कम समय बचता है जिसका मेरे स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मुझे यह जानकारी चाहिए कि, 1.अब तक के नियम/विनियम/अधिनियम/ गाइडलाइन के अनुसार दो कार्यदिवस के दौरान दो पाली के कार्यावधि (वर्किंग आवर) के बीच कितने समय आराम (डेली रेस्ट टाइम) करने के लिए अनिवार्यतौर पर मिलना चाहिए। जैसे: दिनांक 29.09.2021 को बी पाली (समय 14:00 बजे से 22:00बजे की ड्यूटी (वर्किंग आवर) के कितने घंटे आराम (डेली रेस्ट टाइम) के बाद दिनांक:30.09.2021 को नियोक्ता/प्रबंधन मुझे किसी पाली ए/बी/सी में ड्यूटी करवा सकता है। 2. नियोक्ता/प्रबंधन उपरोक्त डेली रेस्ट टाईम को किन परिस्थितियों में कम/शून्य/निरस्त कर सकता है। 3.नियम/विनियम/अधिनियम/गाइडलाइन/पत्र की प्रति उपलब्ध करवायें।	दो पालियों के बीच में कितना समय होना चाहिए, इस तरह का कोई नियम/विनियम/अधिनियम अथवा गाइडलाइन नहीं है। सामान्य प्रावधान के अनुरूप, कम्पनी के कार्य की आवश्यकतानुसार और संबंधित कर्मचारी की स्वीकृति तथा उपलब्ध्ता के आधार पर कार्य की पाली तय की जाती है।

*****

हरीशकुमार